RA/146/2019 गुड्डी देवी कोर बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/01/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिगण व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रर्थियान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीयान के पिता/दादा के नाम चक 5 व 6 LKD के पुख्ता आवंटन सूची नम्बर 4 व 8 के अनुसार पत्रावली संख्या 3940 दिनांक 23.11.76 को पुख्ता आवंटन किया गया जिसका मूल आदेश 33.05 बीघा का जारी किया गया जिसकी विगत पत्रावली चक 6 LKD में रिपोर्ट 06.08.76 में मु.संख्या 128/12,128/13,128/5,128/4,128/20,128/21, तथा 5 LKD के मु. न. 128/13,21,22,28 दर्ज है पट्टा जारी करते समय दृष्टिलोप टंकण भूल में उदाराम पुत्र नानकराम जाट साकिन गोपल्याण के नाम चक 6 LKD के मुं.नं. 148/12,13,21 व 20 तथा 5 LKD के 148/13,21 अंकित कर दिये जो ब्लॉक टिसी काश्त के विपरित हैं। तत् समय इसकी दुरूस्ती की जाकर रिकॉर्ड पटवार में अमलदरामद 128 के ब्लॉक में उपरोक्त सभी मु. नं. का अंकन किया हुवा है परन्तु सैल रजि. में बावजूद रीकॉर्ड संशोधन सहवन से ब्लॉक संख्या 148 अंकित है जो दुरूस्ती योग्य हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में मूल आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति स्वयं का शपथ–पत्र सैल रजिस्टर चक 5–6 LKD व जमाबन्दी चक 5 व 6 LKD की पेश की । प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार लूनकरनसर से रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार लूनकरनसर से उनके पत्र क्रमांक 1139 दिनांक 25.09.2019 अनुसार प्रार्थीगण के आवंटन का चक 5 व 6 LKD के मु. न. 128/12,128/13,128/ 5,128/4,128/20,128/21 में 33 बीघा 05 बिस्वा में कमाण्ड/अनकमाण्ड किला का जमाबन्दी से मिलान नहीं हो रहा है जिससे खातेदारी प्रस्ताव में परेशानी आ रही है। प्रार्थीयां ने मूल आवंटन पत्रावली की व जमाबन्दी की छाया प्रति पेश की सैल रजिस्टर व आबंटन आदेश में दुरूस्ती चाही गई है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार चक 5 एलकेडी के खाता संख्या 140 के मु.नं. 128/13 किला नं. 16 में 0.05, 24 में 0.08, 25 में0.018, कमाण्ड मु.नं. 128/21 के किला नं. 11,12,13 कुल 03 बीघा अनकमाण्ड किला नं. 14 में 1 बीघा कमाण्ड, 17ता25 में 09 बीघा अनकमाण्ड कुल 14.01 बीघा तथा चक 6 एलकेडी के मु.न. 128/12 के किला नं. 16,17,23ता25 कुल 05 बीघा कमाण्ड मु.न 128/13 के किला नं. 4ता7,14,15,17 में 0.15,24 में 0.2 कमाण्ड मु.नु 128/20 के किला नं. 18 में 0.18, 19में 01 अनकमाण्ड, 20 में 0.18, 21 में [illegible] 02 मु.नं. 128/21 के किला 1 में 0.18, 2 में 0.0[illegible] 03 कुल 17.12 बीघा प्रार्थीगण के [illegible] चक 05 एलकेडी के खाता संख्या 45/35 के [illegible] पुत्र नानक जाट के नाम से मु.नं. 148/13 में16 में 0.05, 24 में 0.08, 25 में0.018, कमाण्ड मु.नं. 148/21 के [illegible]ला नं. 11,12,13,14,17ता24 कुल 11.10 बीघा तथा 6 एलकेडी के मु.नं. 48/12 के किला नं.16,17,23ता25 कुल 05 बीघा अनकमाण्ड , 148/13 के किला नं. 04 ता 07,14,15में 0.15, 16 में 0.05, 17 में 0.19, 24 में 0.07 कुल 07.09 बीघा, मुं.नं. 148/21 के किला नं. 1 में 1 बीघा, 10 में 0.18 बीघा, 02 में 0.10 बीघा कुल 2.08बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड मु.नं.	

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:20:35 IST
Reason: SelfAttested

RA/146/2019 गुड्डी देवी वगैरह बनाम सरकार

148/20 के किला नं .20,21, 18,19,22,23 में .10 कुल 5.10 बीघा कमाण्ड दर्ज है। चक 5 एलकेडी में सैल रजिस्टर व आवंटन आदेश में मु.नं. 148/13 तथा 148/21 दर्ज है जबकि जमाबन्दी में 128/13 व 128/21 दर्ज है। मु.नं. 128/21 के किला नं. 25 में 1 बीघा अनकमाण्ड प्रार्थीगण के पिता/दादा के नाम दर्ज है। जबकि सेल रजिस्टर में उक्त किला दर्ज नहीं हैं। इसी प्रकार 6 एलकेडी के सेल रजिस्टर व आवंटन आदेश में मु.नं. 148/12,13,20,21 अंकित है जबकि जमाबन्दी में मु.नं. 128/12,13,20,21 दर्ज है। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार चक 6 एलकेडी में 148 नम्बर का ब्लॉक नहीं है। मु.नं. 148/13 के किला नं. 16 की 0.05 बीघा अनकमाण्ड रजिस्टर में दर्ज है, जमाबन्दी में नहीं है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि चक 5 व 6 एलकेडी में जरिये मिशल नम्बर 2940 दिनांक 21.06.76 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.76 में आवंटी का ब्लॉक नम्बर 128 में कब्जाकाश्त का अंकन है तथा जमाबन्दी में भी मुं.न. 128 दर्ज है पुख्ता आवंटन करते समय लिपिकीय भूलवंश मुं. नं. 128 वजाय 148 अंकित हो गया है। जिसकी दुरूस्ती के अभाव में प्रार्थीगण को लम्बे समय से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे है। वकील प्रार्थीगण ने बहस जारी रखते हुवे कथन किया की मुं.नं. 128/13 के किला नं. 16 की 0.05 बीघा आवंटन होते हुवे भी जमाबन्दी में अंकन से छूट गया है व मुं. नं. 128/21 के किला नं 25 की 1 बीघा अनकमाण्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के नाम से दर्ज चला आ रहा है। जो सेल रजिस्टर एवं आवंटन आदेश में दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण किला नम्बर 16 की 05 बिस्वा अनकमाण्ड का मुताबिक आवंटन अंकन चाहते है तथा किला नम्बर 25 में 1 बीघा अनकमाण्ड की वर्तमान में प्रचलित स्माल पेच की दर से सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा करवाना चाहते है। अन्त में अपनी बहस समाप्त करते हुवे मूल आवंटन पत्रावली में मु.नं. 148 के स्थान पर 128 दुरूस्त करने की इस्तदुआ की ।

पैरोकार राज का कथन है कि चक 5 व 6 एलकेडी में ब्लॉक 148 नहीं है इन दोनो चकों में ब्लॉक नं. 128 ही है। इसी अनुसार जमाबन्दी में सही ब्लॉक दर्ज हैं सेल रजिस्टर में दुरूस्त किया जाना उचित है। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में मु.नं. 128/21 के किला नं. 25 की एक बीघा अनकमाण्ड की वर्तमान प्रचलित स्माल पेच की दर से राशि जमा करवाकर आवंटन से अधिक दर्ज किला को नियमित किये जाने अथवा जमाबन्दी से नाम हटवाए जाने से सरकार को किसी प्रकार की हानि सम्भावित नहीं है इसी प्रकार मु.नं. 128/13 के किला नं. 16 की 0.05 बीघा सेल रजिस्टर अनुसार आवंटन है परन्तु जमाबन्दी में दर्ज नहीं है जिसे आवंटन पत्रावली से मिलान उपरान्त आवंटन पाए जाने पर प्रार्थीगण के नाम से पुनः अंकन में कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमने प्रस्तुत रिकॉर्ड मूल आवंटन पत्रावली, जमाबन्दी व सेल रजिस्टर की छाया प्रति का अवलोकन किया मूल आवंटन पत्रावली सं. 2940 दिनांक 02.06.76 निर्णय दिनांक 23.11.76 का भलीभांति अवलोकन किया प्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:20:35 IST
Reason: SelfAttested

RA/144/2019 मुई देवी कौरह बनाम सरकार

पिता/दादा को ए श्रेणी में उसके धारण की गैर खातेदारी भूमि का आवंटन किया गया धारित गैर खातेदारी का विवरण उक्त पत्रावली के पेज संख्या 03/02 में अंकित है जिसमें प्रार्थीगण के पिता/दादा नानकराम पुत्र उदाराम के नाम से चक 5–6 एलकेडी के मु. नं. 128/12,13,04,05,20,21,23,28 में से आवंटन किया गया है जिसमें लिपिकीय भूलवंश आवंटन आदेश जारी करते समय मु.नं. 128 के स्थान पर 148 अंकित हो गया हैं जमाबन्दी में वर्तमान में मु.नं. 128 ही दर्ज हैं सेल रजिस्टर में 148 दर्ज है तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ब्लॉक नं. 148 चक 5 व 6 एलकेडी में नहीं है। इसे स्पष्ट है कि सही मु.नं. 128 ही हैं लिहाजा प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार लूनकरनसर को इस आदेश की प्रमाणित प्रति इस हिदायत के साथ प्रेषित की जाती है कि सेल रजिस्टर चक 5 व 6 एलकेडी में नानक पुत्र उदा के नाम से आवंटित रकबा में जहां–जहां मु.नं 148 अंकित हैं वहां–वहां 128 दुरूस्त किया जावे जमाबन्दी में पूर्व से ही मु.नं. 128 सही दर्ज है । अतः प्रार्थना 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि सैल रजिस्टर में जहां–जहां प्रार्थीयां के दादा नानक पुत्र उदा को आवंटित भूमि में ब्लाक 148 के स्थान पर 128 दुरूस्त करें। मु.नं. 128/21 के किला नम्बर 25 की 1 बीघा आवंटन नहीं होने के बावजूद प्राथीगण के नाम दर्ज है को हटाने के आदेश दिये जाते हैं। मुताबिक आवंटन पत्रावली मु.नं. 128/13 के किला नम्बर 16/0.05 बिस्वा आवंटन होते हुए भी जमाबन्दी में अंकन नहीं है को अंकन के आदेश किये जाते हैं। इस आदेश की प्रमाणित प्रति मूल आवंटन पत्रावली के चस्पा की जाकर मूल पत्रावली वापिस जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट बीकानेर में जमा कराई जावें। यह पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हो।

01/01/2021

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

08/01/21 पत्रावली पुनः प्रस्तुत/आदेश दिनांक 01-... के पेज संख्या 3 की पंक्ति संख्या ... से नानक पुत्र उदा टंकित हो गया ... पुत्र नानक पढ़ा जावे। तदनुसार रिकार्ड मे अंकन हो।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:20:35 IST
Reason: SelfAttested